भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2880

28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात पुनर्चक्रण

2880. डॉ. विकास महात्मे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात पुनर्चक्रण और स्क्रैपिंग के क्षेत्र में राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी पंजीकृत और अपंजीकृत कंपनियाँ कार्यशील हैं;

(ख) क्या सरकार ने अपंजीकृत और लघु स्तरीय स्टील स्क्रैपर्स को मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए कोई उपाय निर्धारित किए हैं और हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस्पात स्क्रैप की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): इस्पात पुनर्चक्रण एवं स्क्रैपिंग क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। स्क्रैपिंग केन्द्रों को राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सीपीएसयू, एमएसटीसी लिमिटेड ने महिन्द्रा एसेलो, जो महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीईआरओ) के नाम से जाना जाता है, के साथ एक संयुक्त उद्यम के तहत वाहनों तथा व्हाइट गुड्स के लिए 3 संग्रहण और विघटन केन्द्रों की स्थापना की है।

(ख): भारत सरकार ने पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सुरक्षित भंडारण, प्रशोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) [एचओडब्ल्यूएम] नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन प्रणाली शामिल है।

(ग): भारतीय मानक ब्यूरो ने स्क्रैप के वर्गीकरण के लिए आईएस 2549:1994 - प्रसंस्कृत फेरस स्क्रैप के वर्गीकरण का कोड तैयार किया है।

****